

Office Order no-57/NG/2019/D. Shed/SPJ

रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(NG)I-2017/TR/24 (RBE No 131/2017) दिनांक 22.09.2017 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक-11.12.18 एवं मुख्य कारखाना प्रबंधक पूर्व रेलवे/जमालपुर के पत्रांक - O/E6/GIF/09/IRMT/16073 dt 20.06.19 के आलोक में श्री विद्याभूषण कुमार हेल्पर (डीजल/विद्युत) लेवल 1 का सुश्री ज्योति कुमारी हेल्पर मुकाप्र/जमालपुर लेवल 1 के साथ अन्तर रेल पारस्परिक स्थानान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(NG)I-2017/TR/24 (RBE No. 65/2018) दिनांक 09.05.2018 में दिए गए निर्देशों के अनुसार पारस्परिक आधार पर स्थानान्तरित होने वाले उपरोक्त दोनों कर्मचारियों को संबंधित मंडल द्वारा अविलम्ब विरमित किया जाना है।

चूंकि उपरोक्त पारस्परिक स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर है, अतः स्थानान्तरण पर मिलने वाली सुविधा सीटीजी, पास, स्थानान्तरण अवकाश आदि देय नहीं होगा तथा उक्त कर्मचारियों की वरीयता पारस्परिक स्थानान्तरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानान्तरण हेतु अनुरोध नहीं करेंगे।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

(चन्द्र किशोर)


सहायक कार्मिक अधिकारी-1।  
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर

सं०- का/283/111/डीजलशेड/नि०अनु०/अं०मं०/16

दिनांक -11. 07.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य कारखाना प्रबंधक/जमालपुर - वे कृपया सुश्री ज्योति कुमारी मुकाप्र/जमालपुर को डीएआर/एसपीई/विज आदि मामले से मुक्त होने की स्थिति में उचित प्रमाण पत्र, फोटो एवं अंगूठे का निशान इत्यादि सत्यापन के साथ अविलम्ब विरमित करने की व्यवस्था करें।
2. वमंयाई(डीजल)/समस्तीपुर 3.वमंविप्र./समस्तीपुर 4.मुकार्याधी/डीजल/डीजलशेड/समस्तीपुर - वे कृपया श्री विद्याभूषण कुमार हेल्पर (डीजल/विद्युत) डीजलशेड समस्तीपुर,को विहित पहचान पत्र, अवकाश खाता, फोटो एवं अंगूठे का निशान इत्यादि के सत्यापन के साथ इस कार्यालय को विरमित करें ताकि कर्मचारी को मुकाप्र/जमालपुर के लिए विरमित किया जा सके।
5. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो०/सम० मंडल। 6. संबंधित कर्मचारी
7. अभिलेख हेतु।

  
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर